उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-32/2025/ 1004 /तीस-3-2025
लखनऊः दिनांकः 22 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा- 28, 38, 65, 96 और 138 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल एतदद्वारा जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं उसका निम्नलिखित प्रारूप, उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों को सूचनार्थ और उसके सम्बन्ध में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से पूर्वोक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित करते हैं।

इस नियमावली के प्रारूप से सम्बन्धित आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, विशेष सचिव, परिवहन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल ऐसे आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

ऐसे व्यक्ति, जिन्होनें अपनी आपत्तियाँ और सुझाव लिखित रूप में प्रस्तुत किये हों, सुनवाई हेतु विशेष सचिव, परिवहन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ में उनके कार्यालय कक्ष संख्या- 434 में दिनांक 05 जून, 2025 को अपरान्ह 12:30 बजे उपस्थित हो सकते हैं।

नियमावली का प्रारूप

उत्तर प्रदेश मोटर यान (इकतीसवां संशोधन) नियमावली, 2025

<table>
<tr><td>संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ</td><td>1(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटर यान (इकतीसवां संशोधन) नियमावली, 2025 कही जाएगी।
(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।</td></tr>
<tr><td>नियम 3 का संशोधन</td><td>2- उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है, में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 3 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात:-
<table>
<tr><th>स्तम्भ-1
(विद्यमान नियम)</th><th>स्तम्भ-2
(एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम)</th></tr>
<tr><td>अनुज्ञापन प्राधिकारी- सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक, जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा इस अध्याय के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, प्राधिकृत किया गया हो, अनुज्ञापन प्राधिकारी होगा।</td><td>अनुज्ञापन प्राधिकारी- सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा मोटर यान निरीक्षक, जो सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा इस अध्याय के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, प्राधिकृत किया गया हो, अनुज्ञापन प्राधिकारी होगा।</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

<table>
<tr><td>नियम 19 का संशोधन</td><td>3- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-19 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-
<table>
<tr><th>स्तम्भ-1</th><th>स्तम्भ-2</th></tr>
<tr><td>(विद्यमान नियम)</td><td>(एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम)</td></tr>
<tr><td>19. अनुज्ञापन प्राधिकारी- अधिनियम के अध्याय-तीन के अधीन परिवहन विभाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या ऐसा सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक होगा जैसा कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।</td><td>19. अनुज्ञापन प्राधिकारी- अधिनियम के अध्याय-तीन के अधीन परिवहन विभाग का सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा मोटर यान निरीक्षक होगा जैसा कि सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी के कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>नियम 37 का संशोधन</td><td>4- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 37 के विद्यमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-
<table>
<tr><th>स्तम्भ-1</th><th>स्तम्भ-2</th></tr>
<tr><td>(विद्यमान उप नियम)</td><td>(एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम)</td></tr>
<tr><td>(1) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा सम्भागीय निरीक्षक या सहायक सम्भागीय निरीक्षक होगा जैसा सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अधिनियम और तद्दीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया जाय।</td><td>(1) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी या परिवहन विभाग का ऐसा मोटर यान निरीक्षक होगा जैसा सम्भागीय परिवहन अधिकारी या सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अधिनियम और तद्दीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कर्तव्यों का सम्पादन करने के लिए प्राधिकृत किया जाय।</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

संख्या-32/2025/1004(1)/तीस-3-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि - संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

आदेश को दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के असाधारण गजट के परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 25 प्रतियां परिवहन अनुभाग-3, कक्ष संख्या-323, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त
उप सचिव।

संख्या-32/2025/1004 (2)/तीस-3-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि - निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (विज्ञापन प्रभाग), उ0प्र0, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए, उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त
उप सचिव।

संख्या-32/2025/1004(3)/तीस-3-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कार्मिक/वित्त/न्याय विभाग/गृह/नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
(4) अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ0प्र0।
(5) समस्त उप परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)।
(6) समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)।
(7) समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन/प्रवर्तन), उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)।
(8) समस्त मोटर यान निरीक्षक, उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)।
(9) परिवहन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
(10)गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 32/2025/1004 /XXX-3-2025 dated 22 April, 2025

Notification
No. 32 /2025/ 1004/xxx-3-2025
Lucknow; Dated: 22 April, 2025

The following draft rules, which the Governor proposes to make, in exercise of the powers under sections 28, 38, 65, 96 and 138 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) with view to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998, is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the aforesaid Act of 1988 for the information of all persons likely to be affected thereby and with a view to invite objections and suggestions in respect thereof;

Objections and suggestions, if any, with respect to these draft rules should be sent in writing addressed to the Special Secretary, Transport Section-3, Government of Uttar Pradesh, Bapu Bhawan, Uttar Pradesh Secretariat, Lucknow. Only such objections and suggestions, as are received within thirty days from the date of publication of this notification in the Gazette, shall be taken into consideration;

The persons who file their objections and suggestions in writing may appear for hearing before the Special Secretary, Transport Section-3, Government of Uttar Pradesh, Bapu Bhawan, Uttar Pradesh Secretariat, Lucknow in his office room no. 434 on 05 June, 2025 at 12.30 p.m.

DRAFT RULES

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES (THIRTY-FIRST AMENDMENT) RULES, 2025

<table>
<tr><td>Short title and commencement</td><td>1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Thirty-first Amendment) Rules, 2025.
(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the official Gazette</td></tr>
<tr><td>Amendment of rule 3</td><td>2. In the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998, hereinafter referred to as the "said rules", for the existing rule 3 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :-
<table>
<tr><th>COLUMN-I</th><th>COLUMN-II</th></tr>
<tr><td>(Existing rule)</td><td>(Rule as hereby substituted)</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	Licensing authority 3. The licensing authority shall be the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer or such Regional Inspector or the Assistant Regional Inspector of the Transport Department as is authorised by the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer to perform the duties of a licensing authority under this chapter.	**Licensing authority** 3. The licensing authority shall be the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer or such Motor Vehicle Inspector of the Transport Department as is authorised by the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer to perform the duties of a licensing authority under this Chapter.
Amendment of rule 19	3. In the said rules, for the existing rule 19 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :-	

COLUMN-I	**COLUMN-II**
(Existing rule)	**(Rule as hereby substituted)**
Licensing authority 19. The licensing authority under Chapter III of the Act shall be the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer or such Regional Inspector or the Assistant Regional Inspector of the Transport Department as is authorised by the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport	**Licensing authority** 19. The licensing authority under Chapter III of the Act shall be the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer or such Motor Vehicle Inspector of the Transport Department as is authorised by the Regional Transport Officer or the Assistant Regional Transport Officer to

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	Officer to perform the duties of a licensing authority.	perform the duties of a licensing authority.

Amendment of rule 37

4. In the said rules, for the existing sub-rule (1) of rule 37 set out in Column-I below, the sub-rule as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-I	**COLUMN-II**
(Existing rule)	**(Rule as hereby substituted)**
(1) The registering authority shall be the Regional Transport Officer or Assistant Regional Transport Officer or such Regional Inspector of the Transport Department as is authorised by the Regional Transport Officer or Assistant Regional Transport Officer to perform the duties of the registering authority under the provisions of the Act and the rules made thereunder.	(1) The registering authority shall be the Regional Transport Officer or Assistant Regional Transport Officer or such Motor Vehicle Inspector of the Transport Department as is authorised by the Regional Transport Officer or Assistant Regional Transport Officer to perform the duties of the registering authority under the provisions of the Act and the rules made thereunder.

.

By order,

L. Venkateshwar Lu

Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।